न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./123/2022

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामसुख जाति खाती निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवासी मोती नगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र भूरा जाति खाती निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. भूरा पुत्र श्रीराम जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी–श्री राहुल कुमार आचार्य
2. वकील अप्रार्थी–श्री देवकान्त व्यास (अप्रार्थी सं0 01)
3. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता संख्या 712 में दर्ज खसरा नं. 2582 रकबा 0.57 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.57 है0 है,** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 02 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 02 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री देवकान्त व्यास द्वारा जवाब पत्र पेश किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी वकील, पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम कुरथल का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

जाकर मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता संख्या 712 में दर्ज खसरा नं. 2582 रकबा 0.57 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.57 हैं0, प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक नान्दसी को 1500/–(एक हजार पांच सौ रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर